

यूपी को ज्यादा कर्ज लेने की छूट मिली

लखनऊ | विशेष संवाददाता

मोदी सरकार ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। यूपी के सभी जिलों में ईज ऑफ ड्रूइंग के क्षेत्र में किए गए सुधारों को बेहतर माना है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। यूपी अपने राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 02 प्रतिशत ज्यादा कर्ज ले सकेगा।

केन्द्र सरकार ने ईज ऑफ ड्रूइंग

अच्छे काम का परिणाम

- कारोबारी सुगमता में बेहतर काम के चलते केंद्र ने दी सहूलियत
- विकास कार्यों के लिए 4851 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज मिल सकेगा

बिजनेस में किए गए सुधारों के लिए उत्तर प्रदेश को 4851 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए मंजूरी दे दी

है। उत्तर प्रदेश का साथ गुजरात और उत्तराखंड भी अतिरिक्त कर्ज ले सकेंगे।

असल में केन्द्र सरकार ने जुलाई, 2020 में राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर उन शर्तों के बारे में बताया था। जिन पर काम करने के बाद राज्य जीएसडीपी की 02 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति मिल जाएगी। इसके तहत 15 राज्यों को अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गई है।